शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

1 परिचय

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24.11.2021 को 01.04.2021 से प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) को 05 वर्ष की एक और अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। एनएटीएस के तहत प्रशिक्षुओं को उनके कार्यस्थल पर संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित प्रबंधक, अच्छी तरह से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षु जल्दी और सक्षम रूप से काम सीखें। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भारतीय युवाओं को कुशल बनाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर है।यह योजना "शिक्षुता अधिनियम, 1961" (समय-समय पर संशोधित) और "शिक्षुता नियम, 1992" (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार संचालित की जाती है।

2. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के उद्देश्य हैं :

(i) कौशल विकास को बढ़ावा देना और कौशल प्रदान करने में अंतर को पाटना जो छात्र कॉलेजों में अपने अध्ययन के दौरान हासिल नहीं करते हैं और इस प्रकार उन्हें रोजगार योग्य बनाना है: और

(ii) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसे उभरते क्षेत्रों में आवश्यक मानव संसाधनों को पूरा करने के लिए नियोक्ताओं को अनुशासित और कुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की सुविधा प्रदान करना।

3. कार्यान्वयन एजेंसियां:

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) मुंबई, चेन्नई, कानपुर और कोलकाता में स्थित शिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन हैं।

4. लक्षित समूह:-

- इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी धाराओं में स्नातक या समकक्ष
- इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में डिप्लोमा या समकक्ष धारक
- इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के सैंडविच कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र
- बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी सामान्य धाराओं में स्नातक या समकक्ष

5. शिक्षुता के क्षेत्र

5.1 इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं को नामित ट्रेडों या वैकल्पिक ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जाता है।

5.2 कवर किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉक चेन, रोबोटिस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, 3डी प्रिंटिंग और डिजाइन, ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर)/वर्चुअल रियलिटी (एसए) और अन्य उभरते हुए क्षेत्र।

5.3 योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत पहचाने गए 13 क्षेत्रों को भी कवर करेगी, अर्थात् (i) मोबाइल विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण कुंजी प्रारंभिक सामग्री / दवा मध्यस्थ और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (iii) चिकित्सा उपकरणों का निर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट (v) फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, (vi) स्पेशलिटी स्टील, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (xi) कपड़ा उत्पाद: MMF खंड और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल, और (xiii) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी। यह योजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत चिन्हित कनेक्टिविटी/लॉजिस्टिक्स उद्योग क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल भी तैयार करेगी।

5.4 इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के अलावा मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को शामिल करने के लिए NATS के दायरे का भी विस्तार किया गया है। गैर-इंजीनियरिंग धाराओं के छात्रों को यात्रा और पर्यटन प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, आधुनिक कार्यालय अभ्यास प्रबंधन, होटल प्रबंधन और खानपान, बैंकिंग और वित्तीय सेवा और बीमा, आतिथ्य, सचिवीय वाणिज्यिक अभ्यास, कार्यालय प्रबंधन और किसी अन्य से संबंधित ट्रेडों में शिक्षुता प्रदान की जाएगी। व्यापार, उद्योग और प्रतिष्ठानों द्वारा आवश्यक।

5.5 क्षेत्रीय बोर्ड देश के आकांक्षी जिलों, जनजातीय क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लिए इस योजना का कवरेज सुनिश्चित करेंगे।

6. शिक्षुता की अवधि

शिक्षुता की अवधि उद्योग, छात्रों और सरकार की आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम छह (06) महीने से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी। हालांकि, उद्योग को स्टाइपेंड की प्रतिपूर्ति अधिकतम 12 महीनों तक सीमित रहेगी।

7. ऑपरेशन में लचीलापन

प्रशिक्षुओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए उद्योग/संस्था द्वारा कोई बाध्यता नहीं होगी।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय संचालित करने वाले प्रतिष्ठान पैन इंडिया आधार के तहत किसी भी एक बोर्ड के तहत योजना को लागू कर सकते हैं।

प्रतिष्ठान शिक्षुओं को सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित राशि से अधिक या उसके बराबर राशि का भुगतान कर सकते हैं।

8. एनएटीएस के लिए नामांकन

सभी हितधारकों के पास एनएटीएस के ऑनलाइन पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) में योजना में नामांकित होने के लिए अपना विवरण दर्ज करने का प्रावधान होगा। यह छात्रों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।

8.1 छात्र नामांकन

इंजीनियरिंग और सामान्य स्ट्रीम में स्नातक/डिप्लोमा धारक शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए नामांकन के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनके शिक्षुता अनुबंध फॉर्म बीओएटी/बीओपीटी द्वारा उनकी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से 3 साल के भीतर पंजीकृत हों। डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरिंग में सैंडविच पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को भी अपने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से पोर्टल में खुद को नामांकित करना आवश्यक है, ताकि वे स्नातक (सैंडविच) और तकनीशियन (सैंडविच) प्रशिक्षु के रूप में पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षुता प्राप्त कर सकें।

8.1.1 नामांकन के सफल समापन के बाद, छात्र को सिस्टम जनित पुष्टिकरण प्राप्त होगा। प्रतिष्ठान निम्नलिखित एकल/बहुल चयन विधियों के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में छात्रों का चयन कर सकते हैं;

ए. स्थापना द्वारा परिसर चयन

बी. स्थापना का अपना विज्ञापन

सी. चयन के केंद्रीकृत पैटर्न में भाग लेना

डी. पोर्टल से नामांकित छात्र डेटा तक पहुँचना

8.2 संस्थान नामांकन

स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान अनुमोदन के बाद छात्रों को सीधे थोक में दाखिला दे सकते हैं।

8.3 स्थापना नामांकन

4 से 29 की न्यूनतम संख्या वाले सभी प्रतिष्ठान शिक्षु अधिनियम, 1961 (समय-समय पर संशोधित) के तहत पात्र हैं। 30 और उससे अधिक जनशक्ति वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य रूप से प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना होगा।

9. प्रवीणता प्रमाणपत्र जारी करना

जिन प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और प्रशिक्षण स्थापना/उद्योगों द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रगति का रिकॉर्ड (आरओपी) प्राप्त कर लिया है, वे क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा जारी प्रवीणता प्रमाणपत्र (सीओपी) प्राप्त करने के पात्र होंगे।इसके लिए, शिक्षुता प्रशिक्षण के पूरा होने पर, प्रशिक्षण अवधि के दौरान शिक्षुओं के समग्र (उत्कृष्ट / बहुत अच्छे / अच्छे) प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रतिष्ठान को आरओपी अपलोड करने की आवश्यकता होगी। स्थापना द्वारा आरओपी जारी करने और अपलोड करने के 07 दिनों के बाद प्रशिक्षु सीओपी को डाउनलोड कर सकते हैं।

10. शिक्षुता का अनुबंध

नियोक्ता सेक्टर, ट्रेड, क्षेत्र आदि के लिए विशिष्ट उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है और पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए पत्र प्रदान कर सकता है। नियोक्ता ऑफ़लाइन भी शिक्षुओं का चयन कर सकता है और पोर्टल पर शिक्षुता प्रशिक्षण की शुरुआत से पहले शिक्षुओं का विवरण अपलोड कर सकता है। शिक्षुता का अनुबंध शिक्षु और नियोक्ता के बीच दर्ज किया जाना चाहिए। शिक्षुता का अनुबंध संबंधित क्षेत्रीय बोर्डों के साथ एनएटीएस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा।

11. वजीफा समर्थन

अप्रेंटिसशिप काउंसिल (सीएसी) द्वारा अनुमोदन के बाद जारी गजट अधिसूचना में अधिसूचित दरों के अनुसार प्रशिक्षुओं को वजीफा दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों/उद्योगों द्वारा प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के हिस्से सहित निर्धारित वृत्तिका की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार स्थापनाओं/उद्योगों को समय-समय पर अधिसूचित निर्धारित वजीफे के पचास प्रतिशत (50%) की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को उच्च दर पर वृत्तिका देने के लिए स्वतंत्र हैं। स्टाइपेंड का भुगतान उन उद्योगों/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा मासिक रूप से किया जाएगा जहां अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप से गुजर रहा है।

12. दावों का प्रसंस्करण

12.1 संबंधित बोर्ड को दावे प्रस्तुत करते समय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों/उद्योगों को शिक्षुओं को उनकी उपस्थिति के विवरण के साथ छात्रवृत्ति की पूरी राशि के भुगतान के लिए एक प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है।

12.2 भारत सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति संबंधित बोर्डों द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी।

13. स्थापनाओं की निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने के लिए निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि योजना के तहत कुल लाभार्थी प्रतिष्ठानों का 2% से 5% हर साल वास्तविक भौतिक सत्यापन के अधीन होगा। इनका चयन कम्प्यूटरीकृत रैंडम आधार पर किया जाएगा। निगरानी संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा की जाएगी।

*****